

आदेश

प्रस्तुत अपील "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-8 (4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री विशाल मेहता, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन (Emp. ID. AEN02233) द्वारा निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश संख्या-1619 दिनांक- 02.07.2022 के विरुद्ध दायर किया गया है।

प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सूचना निर्गत किया गया है। अपीलार्थी श्री विशाल मेहता को सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल के द्वारा दी गई है। प्रस्तुत अपील में निर्धारित तिथि 09.09.2022 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उभयपक्ष उपस्थित। निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा अपीलार्थी के अपील पर अपना मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि मौजा-भदारी, थाना नं0-430 का किस्तवार कार्य दिनांक- 03.05.2021 को प्रारंभ किया। किस्तवार कार्य दिनांक-12.03.2022 को समाप्त किया तथा दिनांक- 26.03.2022 को किस्तवार मानचित्र एजेंसी को सुधार हेतु उपलब्ध कराया। एजेंसी द्वारा दिनांक- 09.05.2022 को खानापुरी मानचित्र उपलब्ध कराया गया। कोविड माहमारी के कारण दिनांक- 05.05.2021 से 01.06.2021 तक पूरे महीना किस्तवार कार्य बाधित रहा। निदेशालय के पत्रांक-1130 दिनांक- 11.05.2022 द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने एवं अभिरुचि नहीं लेने के संबंध में 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। निदेश के अनुपालन में मैंने दिनांक- 19.05.2022 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। मेरे स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए निदेशालय पत्रांक- 1619 दिनांक- 02.07.2022 द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित मेरे संविदा को रद्द कर दिया गया है।

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना ने अपने प्रतिउत्तर (मंतव्य) में स्पष्ट किया है कि दिनांक-05.05.2022 को बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा में किए जा रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षोपरान्त श्री विशाल मेहता द्वारा मौजा-भदारी, राजस्व थाना नं0-430 का किस्तवार कार्य लगभग 10 माह की लंबी अवधि में पूर्ण किया गया है। खानापुरी कार्य, समीक्षा की तिथि तक प्रारंभ नहीं की गई है। निदेशालय द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण में श्री विशाल मेहता ने कोई ठोस कारण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण इनका संविदा रद्द किया गया है।

उभयपक्षों के सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री मेहता द्वारा मौजा-भदारी, राजस्व थाना नं0-430 का किस्तवार कार्य लगभग 10 माह की अवधि में पूर्ण किया गया है तथा खानापुरी कार्य समीक्षा की तिथि 05.05.2022 तक प्रारंभ नहीं किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जानी है। उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री मेहता द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्यों की उपलब्धि, अधिनियम/नियमावली में वर्णित समय-सीमा के विपरीत है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्री मेहता को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों में रुचि नहीं लेने तथा इनके कृत्य से भू-सर्वेक्षण कार्य एवं अन्य कर्मियों पर इसके कुप्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण द्वारा श्री मेहता की संविदा रद्द की गई है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उक्त के आलोक में श्री विशाल मेहता (Emp. ID. AEN02233), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/-
अपर मुख्य सचिव-सह-
अपीलीय प्राधिकार

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील- 07/2022.....2672.....पटना, दिनांक :- 29/09/2022

प्रतिलिपि:- श्री विशाल मेहता, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन (Emp. ID. AEN02233) Email- vishalsalar@gmail.com, अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण
बिहार, पटना

संख्या :- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील- 07/2022.....2672.....पटना, दिनांक :- 29/09/2022

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

संख्या :- 03/भू0अ0नि0 (3) अपील- 07/2022.....2672.....पटना, दिनांक :- 29/09/2022

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

संख्या :- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील- 07/2022.....2672.....पटना, दिनांक :- 29/09/2022

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण